भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 25
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 14 सितंबर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी संग्रहण में कमी

25. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री पी° वी° मिधुन रेड्डीः
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री एम° वी° वी° सत्यनारायणः
श्री कुरुवा गोरांतला माधवः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2.3 लाख करोड़ कमी की भरपाई हेतु राज्यों को दो विकल्प प्रस्तावित किए हैं जिसमें केवल जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित (97,000 करोड़ रु°) की कमी की भरपाई के लिए 2020-21 में ऋण, जबकि शेष का अतिरेक उपकर संग्रहण से 2022 के बाद भुगतान किया जाएगा या संपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए 2020-21 में ऋण है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य सरकारें अपने विकल्पों का व्यक्तिगत तौर पर उपयोग कर सकेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र सरकार ने जीएसडीपी के 5 प्रतिशत की संशोधित वित्तीय घाटा सीमा को स्वीकृत किया है, जिसमें जीएसडीपी का 1 प्रतिशत राज्यों द्वारा कतिपय सुधारों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा; और
(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7, 8 औऱ 10 के प्रावधानों के अनुसार, लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले पर चर्चा करने और जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए दिनांक 27.08.2020 को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई है, जिसमें राज्यों को बाजार उधारी से चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए दो विकल्प दिए गए थे, अर्थात्

विकल्प 1

I. **जीएसटी लागू होने के कारण होने वाली कमी**(लगभग 97,000 करोड़ रुपये की गणना) वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित विशेष विंडो के तहत ऋण के मुद्दे के माध्यम से राज्यों द्वारा उधार ली जाएगी।

II. यह प्रयास होगा कि द्विमासिक आधार पर जीएसटी मुआवजे के तहत प्रवाह की तरह संसाधनों के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए।

III. भारत सरकार लागत को जी-सेक आय के करीब या उसके आस-पास रखने का प्रयास करेगी, और लागत अधिक होने की स्थिति में, सब्सिडी के माध्यम से जी-सेक औऱ राज्य विकास ऋण प्राप्ति के औसत के बीच के अंतर को 0.5% (50 आधार अंक) तक वहन करेगी।

IV. **व्यय विभाग द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य सामान्य या विशेष अनुमति के तहत पात्र किसी भी अन्य उधार की सीमा के अतिरिक्त** इस राशि के लिए भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 293 के तहत एक विशेष उधार अनुमति दी जाएगी।

V. केन्द्र शासित प्रदेशों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) के संबंध में, भारत सरकार द्वारा विशेष विंडो के तहत संसाधनों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

VI. संक्रमण अवधि के अंत तक विशेष विंडो के तहत उधार पर ब्याज का भुगतान उफकर के रूप में किया जाएगा। संक्रमण अवधि के बाद, मूलधन औऱ ब्याज का भुगतान उपकर की आय से भी किया जाएगा जो कि आवश्यक अवधि के लिए संक्रमण अवधि से आगे उपकर बढ़ाकर किया जा सकता है। **राज्य को ऋण की सेवा देने या किसी अन्य स्रोत से इस चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।**

VII. जैसा कि व्यय विभाग के दिनांक 17.5-20 के कार्यालय ज्ञापन फा.सं.40(06/पीएफ-एस/2017-18 के पैरा 4 में अनुमति दी गई है (इसके बाद राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के रूप में संदर्भित), पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना भी राज्यों को 0.5& की अंतिम किश्त उधार लेने की अनुमति भी दी जाएगी (मूल रूप से व्यय के चार निर्दिष्ट सुधारों में से कम से कम तीन को पूरा करने के लिए एक बोनस के रूप में)। इससे लगभग कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रु. का उधार दी जा सकेगी।

VIII. राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 के द्वारा स्वीकृत 0.5% की बिना शर्त उधार की अनुमति की पहली किस्त अप्रभावित रहेगी। उस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 से 8 में निर्दिष्ट सुधार से जुड़े अंश भी अप्रभावित रहेगा।

IX. राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 9 में संशोधन करते हुए, राज्य उस कार्यालय ज्ञापन के तहत उपयोग नहीं किए गए अतिरिक्त उधार की सीमा को अगले वित्त वर्ष में आगे बढ़ाने में सक्षम होंग, पैरा 4 के तहत किस्तें (0.5 बिना शर्त+ ऊपर पैरा 7 के अनुसार एक और 0.5) बिना शर्त आगे बढ़ाई जा सकती है;यदि राज्यों द्वारा इस वर्ष पहले से निर्धारित तारीखों के भीतर सुधार मानदंड पूरा करते हैं तो सुधार से जुड़े अंशो को आगे बढ़ाया जा सकता है।

X. विशेष विंडो के तहत उधार को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

XI. क्षतिपूर्ति उपकर को संक्रमण काल के बाद तक जारी रखा जाएगा, जब तक कि संक्रमण अवधि के क्षतिपूर्ति के सभी बकाया का भुगतान राज्यों को नहीं किया जाता है। प्रत्योक वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर पर पहला शुल्क देय ब्याज होगा, दूसरा शुल्क मूल चुकौती होगा। संक्रमण अवधि के दौरान उपार्जित क्षतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान ब्याज औऱ मूलधन के भुगतान के बाद किया जाएगा।

विकल्प 2

I. बाजार ऋण जारी करने के माध्यम से 235,000 करोड़ रुपये की पूरी कमी (कोविड प्रभाव वाले हिस्से सहित) राज्यों द्वारा उधार ली जा सकती है। भारत सरकार नीचे दिए गए पैरा IV के अनुसार उपकर की आय से ऐसे ऋण पर मूलधन की अदायगी करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी करेगा।

II. राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के तहत अधिसूचित योजना के संशोधन में, निम्नलिखित कार्यप्रणाली के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 293 के तहत उपयुक्त बढ़ी विशेष उधार अनुमति दी जाएगी

क. मूल पात्रता (जीएसडीपी का 3%) + विकल्प 2 के ऊपर के मद 2 के अनुसार कमी के लिए अनुमति दी गई राशि + जीएसडीपी का + 1% (राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 से 8 के अनुसार सुधार से जुड़ा)

या

मूल पात्रता (जीएसडीपी का 3%) + जीएसडीपी का 1% + जीएसडीपी का 1% तक (राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 से 8 के अनुसार सुधार से जुड़ा)

जो कोई उच्चतर हो।

ख. ऊपर की गणना के तहत सम्मिलित की गई 0.5% की अतिरिक्त बिना शर्त उधार सीमा और राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 के तहत 0.5% की अंतिम (बोनस) किश्त <u>अलग से उपलब्ध नहीं होगी।</u>

ग. राज्य इस वर्ष राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 से 8 के तहत उधार लेने के सुधार से जुड़े किस्तों के लिए पात्र रहेंगे, <u>लेकिन उन्हें आगे ले जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।</u> अधिकतम राशि जो कि कार्यालय ज्ञापन के तहत प्राप्त की जा सकती है, जीएसडीपी के 2% के बजाय जीएसडीपी के 1% तक कम हो जाएगी।

III. ब्याज का भुगतान राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा।

IV. उपरोक्त मद 1 के तहत राशि पर मूल का भुगतान संक्रमण अवधि के बाद, उपकर की आय से किया जाएगा। **राज्यों को किसी अन्य स्रोत से मूलधन चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी**

V. जीएसटी (यानि कुल मिलाकर लगभग 97,000 करोड़ रुपये) के लागू होने के कारण उत्पन्न होने वाली कमी की सीमा तक, उधार को **राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा**, जो कि वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

VI. क्षतिपूर्ति उपकर के संक्रमण काल के बाद जारी रखा जाएगा, जब तक कि सभी राज्यों को संक्रमण अवधि की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है। भविष्य के उपकर पर पहला शुल्क मूल का पुनर्भुगतान होगा। संक्रमण अवधि के दौरान उपार्जित क्षतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान मूलधन के भुगतान के बाद किया जाएगा।

यह भी तय किया गया था कि राज्य अपनी पसंद औऱ विचार रखेंगे। इसके बाद योजना को अंतिम रूप देने पर, राज्य या तो विकल्प 1या विकल्प 2 चुन सकते हैं औऱ तदनुसार, उनकी क्षतिपूर्ति, उधार, चुकौती आदि को उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार निपटा दिया जाएगा।

घ) और (ङ): अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, जीएसडीपी की 3% की सामान्य उधार सीमा से अधिक और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2% तक की अतिरिक्त उधार सीमा वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को दी गई है। इस 2% जीएसडीपी सीमा से, 1% जीएसडीपी राज्य द्वारा निम्नलिखित सुधारों से जुड़ा हुआ है:

क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;

ख) व्यापार सुधार को आसान बनाना

ग) शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार;

घ) पावर सेक्टर में सुधार

प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25% है जो कुल 1% है। 1% की शेष उधार सीमा 0.50% प्रत्येक की दो किस्तों में जारी की जाएगी - पहली बार सभी राज्यों को तुरंत अनटाइड, और दूसरी 4 सुधारों में से कम से कम 3 का वचन देने पर।

****